संख्या-2/2018/1247(2)/छप्पन-2017-38/14

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 02 जनवरी, 2018

विषय: मे0 फ्लाइट सेफ्टी इन्टरनेशनल में श्री कन्हैया लाल गुप्ता, वायुयान अनुरक्षण अभियन्ता (एवियानिक्स), को वायुयान हॉकर 900 एक्सपी पर एवियानिक्स प्रशिक्षण कराए जाने के लिए अग्रिम आहरण/अग्रिम भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 2985/ना0उ0नि0/इंजी0/एफ-2/2017, दिनांक 24 अगस्त, 2017 में किये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वायुयान हॉकर 900 एक्सपी पर श्री कन्हैया लाल गुप्ता, वायुयान अनुरक्षण अभियन्ता को दिनांक 08 जनवरी, 2018 से 17 फरवरी, 2018 तक (आने-जाने हेतु प्रशिक्षण अवधि के अतिरिक्त 04 दिन) मे0 फ्लाइट सेफ्टी इन्टरनेशनल, विचिटा, कन्सास, यू0एस0ए0 में प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रश्नगत प्रशिक्षण कराए जाने हेतु प्रशिक्षण दाता मे0 फ्लाइट सेफ्टी इन्टरनेशनल, विचिटा, कन्सास, यू0एस0ए0 को प्रशिक्षण शुल्क के लिए रूपये 28,64,250/-(यू0एस0डालर 42750) तथा अभियन्ता के विदेश यात्रा व्यय यथा लखनऊ से यू0एस0ए0 तक आने एवं जाने के लिए वायुयान "इकोनॉमी श्रेणी" का किराया रूपये 1,50,000/- दैनिक भत्ता रूपये 2,88,100/- यात्रा भत्ता रूपये 93,800/- एवं होटल किराया रूपये 3,02,505/- चिकित्सा बीमा के रूप में रूपये 2,500/- अर्थात कुल रूपये 37,01,155/।- का व्यय निहित है। अत: राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में श्री कन्हैया लाल गुप्ता, वायुयान अनुरक्षण अभियन्ता (एवियानिक्स) को दिनांक 08.01.2018 से दिनांक 17.02.2018 तक प्रशिक्षण दाता मे0 फ्लाइट सेफ्टी इन्टरनेशनल, विचिटा, कन्सास, यू0एस0ए0 में प्रशिक्षण दिये जाने हेतु प्रशिक्षण शुल्क के लिए रूपये 28,64,250/- (रूपये अठ्ठाइस लाख चौसठ हजार दो सौ पचास मात्र) तथा विदेश यात्रा के लिए कुल रूपये 8,36,905/- (रूपये आठ लाख छत्तीस हजार नौ सौ पॉच मात्र) अर्थात् कुल रूपये 37,01,155/- (रूपये सैंतीस लाख एक हजार एक सौ पचपन मात्र) के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त धनराशि रू0 37,01,155/- (रूपये सैंतीस लाख एक हजार एक सौ पचपन मात्र) का अग्रिम आहरण/अग्रिम भुगतान वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- ए-1-2774/दस-15(1)/69, दिनांक 25-10-1983, शासनादेश संख्या- ए-1-235/दस-2011-15(1)/69, दिनांक 10-06-2011 एवं शासनादेश संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1(1)/69, दिनांक 18-09-2017 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रशिक्षण हेतु विदेश यात्रा से पूर्व प्रशिक्षु अभियंता से नियमानुसार बॉण्ड पत्र निष्पादित कराया जायेगा।

4- उक्त स्वीकृत अग्रिम के समायोजन की सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध कराई जाएगी।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय" के नाम डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- एफ0ए0-1-341/दस-2017, दिनांक 05 अक्टूबर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

पृ0संख्या:2/2018/1247(3)/छप्पन-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35वी-1 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6. सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
7. सम्बन्धित अभियन्ता।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।